

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 19/1/18

:: आदेश ::

एफ 11-09/2017/20-4 :: शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न होने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11-10/2017/20-4 दिनांक 19.01.2018 द्वारा शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए मापदण्ड एवं शर्त निर्धारित की गई है।

2/ मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तों) नियम, 2008 के नियम 8 (ख) के अनुसार "इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलियन किया गया कोई व्यक्ति स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के समान अवकाश का हकदार होगा" प्रावधानित है।

3/ उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता न होने संबंधी आदेश क्रमांक एफ 01-25/2016/20-1 दिनांक 06.08.2016 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है। इस संवर्ग के प्राप्त आवेदन कंडिका (1) में उल्लेखित आदेश में निर्देश/पात्रता के अनुसार निराकृत किया जायेगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Chu
16.1.18
(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 19/01/2018

पृ. क्र. एफ 11-09/2017/20-4,

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल।
- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र., भोपाल।
- समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/विधि प्रकोष्ठ, लोक शिक्षण, म.प्र।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र।
- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आर्डर बुक।

Chu
16.1.18
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 19 / 01 / 2018

:: आदेश ::

एक 11-10/2017/20-4 :: मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2015 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में संशोधन करते हुए नियम "38-ग संतान पालन अवकाश" प्रतिस्थापित किया जाकर महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रावधान किया गया है।

2/ शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न होने के प्रयोजन से राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षक संघर्ष में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार मापदण्ड एवं शर्त निर्धारित करता है—

2.1 अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। दो संतानों की उम्र 18 वर्ष होने तक अधिकतम 730 दिन की कालावधि का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। दो संतान से अधिक जीवित संतान होने पर उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

2.2 शिक्षक संघर्ष में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश के संबंध में 90 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी शिक्षिका द्विना पूर्व स्वीकृति के संतान पालन अवकाश पर नहीं जा सकेंगी। अपवादस्वरूप प्रकरणों यथा संतान की आकस्मिक गंभीर अवस्था, दुर्घटना, अन्य गंभीर अकस्मिकता निर्मित होने की दशा में 90 दिवस पूर्व आवेदन दिये जाने संबंधी प्रावधान स्वीकृतकर्ता अधिकारी शिक्षिल कर आवेदन पर विचार कर सकेंगे।

2.3 उक्त अवकाश एक केलैंडर वर्ष में लीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा। एक दिन के लिए उपयोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलैंडर वर्ष में भी जारी रहती है, तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलैंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। केलैंडर वर्ष से अभिन्न होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

2.4 संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

2.5 अवकाश के मध्य आने वाले सार्वजनिक अवकाश को संतान पालन अवकाश में सम्मिलित माना जावेगा।

2.6 संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, शिक्षिकाओं को, अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का मुगलान किया जाएगा।

2.7 संबंधित शिक्षिका द्वारा अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद रिक्त माना जावेगा एवं अध्यापन कार्य की प्राथमिकता तथा शाला की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी उक्त रिक्त पद पर संबंधित संघर्ष के अन्य लोक सेवक की पदस्थापना अथवा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था निम्नानुसार कर सकेगा। संबंधित के अवकाश से लौटने पर उसकी पदस्थापना तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर की जायेगी।

14.1.18

संस्करण व इसके प्राथमिक को जारी।

3/ किसी विद्यालय में केवल महिला शिक्षिका कार्यरत होने पर यथा संभव दारी-बारी से एक समय में अधिकतम 50 प्रतिशत महिला शिक्षक को ही संतान पालन अवकाश निम्न प्राथमिकता कम में स्वीकृत किया जा सकेगा।

3.1 विद्याएँ/परित्यक्ता/विकलांग शिक्षिका।

3.2 विकलांग/गंभीर बीमारी/सेरेब्रल पॉलिसी/मंदसुद्धि से पीड़ित संतान की देखभाल के लिए जिला भौतिक बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

3.3 पति निःशक्त होने/गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर संतान की देखभाल के लिए।

3.4 संतान 10वीं अथवा 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने पर।

4/ संतान पालन अवकाश स्वीकृति की उपरोक्त व्यवस्था आदेश जारी किए जाने के दिनांक से प्रभावक्षील रहेगी। इसके पूर्व स्वीकृत संतान पालन अवकाश प्रकरणों में अवकाश खातों का संधारण भी नियमित प्रक्रिया अनुसार ढी किया जायेगा। संबंधित के खाते में शेष संतान पालन अवकाश के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निराकरण नवीन व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कार्डर्स से मालन सुनिश्चित किया जावे।

• मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Omri (4.1.18)

(के.के.हिंदौरी)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 19/01/2018

पृ. अ. एक 11-10/2017/20-4,

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल।
- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र., भोपाल।
- समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र।
- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आर्डर दुक्त।

Omri (4.1.18)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग